[2021] 2 उम. नि. प. 63

मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक और एक अन्य

बनाम

वी. अनित कुमार दास

[2020 की सिविल अपील सं. 3602]

3 नवम्बर, 2020

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

सेवाविधि – बैंक द्वारा चपरासी के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाना – पद के लिए अधिकतम अर्हता 12वीं या समकक्ष कक्षा उत्तीर्ण होना – विज्ञापन में स्नातक अभ्यर्थी को पद के लिए आवेदन करने के लिए अपात्र समझा जाना – प्रत्यर्थी द्वारा अपने स्नातक होने के तथ्य को छिपाते हुए पद के लिए आवेदन किया जाना – आवेदन पत्र/जीवन-वृत्त में केवल 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने का उल्लेख किया जाना – प्रत्यर्थी का उक्त पद पर चयन हो जाना – पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर दस्तावेजों की संवीक्षा के दौरान बैंक को प्रत्यर्थी के स्नातक होने के तथ्य का पता चलने पर उसके चयन को रद्द किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी की रिट याचिका मंजूर किया जाना और प्रत्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की अनुज्ञा देने के लिए बैंक को निदेश दिया जाना – औचित्य – चूंकि किसी पद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक अर्हता/पात्रता मानदंड विहित करने का कार्य नियोजन का है और बैंक द्वारा पद के लिए नियत अर्हता उसके मानव संसाधन विकास मंडल द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार थी तथा प्रत्यर्थी द्वारा जान बूझकर और साशय तात्विक तथ्य को छिपाया गया था, इसलिए बैंक द्वारा उसके चयन/नियुक्ति को रद्द करना न्यायोचित था ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी बैंक द्वारा स्थानीय समाचारपत्र में विज्ञापन प्रकाशित करके चपरासी के पद के लिए आवेदन

आमंत्रित किए गए थे । उक्त विज्ञापन में वर्णित पात्रता मानदंड यह था कि अभ्यर्थी 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए और अंग्रेजी पढ़ने/लिखने का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए । इस विज्ञापन में विनिर्दिष्ट रूप से यह अनुबंधित था कि अभ्यर्थी तारीख 1 जनवरी, 2016 को स्नातक नहीं होना चाहिए । अभ्यर्थी के लिए अपना जीवनवृत्त विहित रूप विधान (फार्मेट) में प्रस्तुत करना भी अपेक्षित था । इस अपील में प्रत्यर्थी ने यद्यपि, वह स्नातक था, उक्त पद के लिए आवेदन किया । तथापि, उसने न तो आवेदन पत्र में और न ही जीवनवृत्त में यह उजागर किया कि वह स्नातक है । बैंक के मानव संसाधन विकास मंडल द्वारा जारी तारीख 4 मार्च, 2016 के परिपत्र के अनुसार, चपरासियों का चयन अभ्यर्थियों द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा में अभिप्राप्त किए गए अंकों की प्रतिशतता के आधार पर किया जाना अपेक्षित था । जहां तक इस अपील में प्रत्यर्थी-मूल रिट याची का संबंध है, उसके द्वारा अपने आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर बलसार जिले के चयनित अभ्यर्थियों में उसका नाम आया । एक नियुक्ति आदेश जारी किया गया । जब दस्तावेजों की संवीक्षा की जा रही थी, तब अपीलार्थी बैंक को एक स्नातक प्रमाणपत्र के बारे में पता चला जिससे यह दर्शित हो रहा था कि प्रत्यर्थी-मूल याची वर्ष 2014 से स्नातक है । इस प्रकार, यह नोटिस किया गया और पाया गया कि वह विज्ञापन और परिपत्रों के अनुसार पात्र नहीं था और यह कि प्रत्यर्थी ने सोच-समझकर, जान बूझकर और साशय इस तथ्य को छिपाया था कि वह स्नातक है । अत: उसकी अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया और उसे बैंक में अधीनस्थ काडर में कार्यभार ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया । उसके पश्चात् प्रत्यर्थी ने तारीख 3 अक्तूबर, 2016 के नियुक्ति आदेश के आनुसार उसे चपरासी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुज्ञा देने के लिए समुचित आदेश के लिए और यह भी निदेश देने के लिए समुचित आदेश के लिए कि उसकी नियुक्ति को इस आधार पर रद्द न किया जाए कि उसके पास उच्चतर अर्हता है, उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका [2016 की रिट याचिका (सिविल सं. 19261)] फाइल की । उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने

उक्त रिट याचिका को मंजूर किया । विद्वान् एकल न्यायाधीश ने बैंक को निदेश दिया कि प्रत्यर्थी को तारीख 3 अक्तूबर, 2016 के नियुक्ति आदेश के अनुसार चपरासी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुज्ञा दी जाए । विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पूर्वोक्त रिट याचिका को मंजूर करते हुए और तारीख 3 अक्तूबर, 2016 के नियुक्ति आदेश के अनुसार प्रत्यर्थी-मूल रिट याची को चपरासी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अनुज्ञा देने के लिए बैंक को निदेश देते हुए पारित किए गए निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर अपीलार्थी बैंक ने उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष रिट अपील फाइल की । उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, जो कि एक अकारण आदेश है, अपील खारिज कर दी और विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया । बैंक द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – किसी पद के लिए अर्हताओं की सुसंगतता और उपयुक्तता का अवधारण और विनिश्चय करने का कार्य नियोजक का है और इस पर विचार करने और निर्धारण करने का कार्य न्यायालयों का नहीं है । किसी पद के लिए अर्हताएं विहित करने के लिए न्यायालयों द्वारा नियोजक के लिए अत्यधिक स्वच्छन्दता अनुज्ञात की जाती है । इसके पीछे एक तर्काधार है । अर्हताएं, यथास्थिति, किसी संस्थान या उद्योग या स्थापन की आवश्यकता और हित को ध्यान में रखते हुए विहित की जाती हैं । न्यायालय अर्हताओं के ऐसे विहितिकरण की समीचीनता, औचित्य या उपयोगिता का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त अभिकरण नहीं हैं । प्रस्तुत मामले में, यह पात्रता मानदंड/शैक्षणिक अर्हता विहित करना कि कोई स्नातक अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा और अभ्यर्थी अवश्य 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, न्यायोचित है और जैसाकि इसमें ऊपर मत व्यक्त किया गया है, यह बैंक द्वारा किया गया एक भानपूर्ण विनिश्चय है जो वर्ष 2008 से प्रवृत्त है । अतः, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी बैंक को यह निदेश देकर स्पष्ट गलती की है कि

वह प्रत्यर्थी-मूल रिट याची को चपरासी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अनुज्ञा दे, यद्यपि वह विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंड/शैक्षणिक अर्हता के अनुसार पात्र नहीं था । प्रत्यर्थी-मूल रिट याची ने सोच-समझकर, जान बूझकर और साशय इस तथ्य को छिपाया था कि वह स्नातक है, इस आधार पर भी उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी-मूल रिट याची को चपरासी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुज्ञा देने के लिए अपीलार्थी बैंक को निदेश देकर गलती की थी । प्रत्यर्थी-मूल रिट याची ने अपने आवेदन/जीवनवृत्त में यह उल्लेख नहीं किया था कि वह स्नातक है । बहुत ही चतुराई से उसने इस तथ्य को छिपाया और अपनी अर्हता एच.एच.सी. घोषित की, जबकि वास्तव में उसके पास कला में स्नातक की डिक्री थी । यदि बैंक को यह जानकारी दी गई होती कि वह स्नातक है, तो बैंक में चपरासी के रूप में उसके चयन के लिए कतई विचार नहीं किया जाता । बाद में, जब दस्तावेजों की संवीक्षा की जा रही थी और जब प्रत्यर्थी-मूल रिट याची ने एक स्नातक का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया, उस समय बैंक को पता चला कि वह स्नातक है और इसलिए पात्र नहीं है और इसलिए बैंक ने ठीक ही उसकी अभ्यर्थिता रद्द की और उसे बैंक में अधीनस्थ काडर में कार्यभार ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया । अतः, केवल पूर्वोक्त आधार पर ही उच्च न्यायालय को रिट याचिका मंजूर नहीं करनी चाहिए थी जबकि मूल रिट याची द्वारा तात्विक तथ्य को छिपाने का यह एक स्पष्ट मामला था । कर्मचारी से अपनी अर्हता के बारे में सही जानकारी देने की प्रत्याशा की जाती है । मूल रिट याची ऐसा करने में असफल रहा था । कोई अभ्यर्थी तात्विक जानकारी छिपाकर और/या मिथ्या जानकारी देकर सेवा में जारी रहने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है । इस प्रकार, तात्विक जानकारी और तथ्यों को छिपाने के आधार पर और चूंकि प्रत्यर्थी-मूल रिट याची अन्यथा भी विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंड/शैक्षणिक अर्हता के अनुसार पात्र नहीं था जो कि तारीख 6 नवम्बर, 2008 को जारी 2008 के परिपत्र सं. 25 के अनुसार थी, इसलिए बैंक ने उसकी अभ्यर्थिता को ठीक ही रद्द किया था और ठीक ही उसको अपनी ड्यूटी ग्रहण की अनुज्ञा नहीं दी थी । (पैरा 7.3, 8)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2019]	(2019) 2 एस. सी. सी. 404 : **जहूर अहमद रथेड़** बनाम **इम्तियाज अहमद** ;	3.3,7.2
[2017]	(2017) 8 एस. सी. सी. 608 : **उड़ीसा राज्य** बनाम **बिभीषण कहार** ;	3.4
[2015]	(2015) 2 एस. सी. सी. 170 : **पंजाब राज्य** बनाम **अनिता** ;	7.2
[2010]	(2010) 15 एस. सी. सी. 596 : **ज्योति के. के.** बनाम **केरल लोक सेवा आयोग** ;	7.2
[2003]	(2003) 3 एस. सी. सी. 548 : **योगेश कुमार** बनाम **राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार** ;	3.3,7.1
[2003]	(2003) 3 एस. सी. सी. 437 : **केन्द्रीय विद्यालय संगठन** बनाम **राम रतन यादव** ;	3.4,8
[2000]	2000 की सिविल अपील सं. 1010, तारीख 11 फरवरी, 2000 को विनिश्चित : **मोहम्मद रायजुल उस्मान गनी** बनाम **जिला और सेशन न्यायाधीश, नागपुर** ;	2,3.2,4,5.3
[1990]	(1990) 1 एस. सी. सी. 288 : **जे. रंगास्वामी** बनाम **आंध्र प्रदेश सरकार** ।	3.3, 7

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2020 की सिविल अपील सं. 3602.

2019 की रिट अपील सं. 278 में उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक के तारीख 22 नवम्बर, 2019 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री राजेश कुमार-1, अनंत गौतम और निपुण शर्मा

प्रत्यर्थी की ओर से श्री अभिनव अग्रवाल

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एम. आर. शाह ने दिया ।

न्या. शाह – इजाजत दी गई ।

1. नियोजक पंजाब नेशनल बैंक ने 2019 की रिट अपील सं. 278 में उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक की खंड न्यायपीठ द्वारा तारीख 22 नवम्बर, 2019 को पारित किए गए उस आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर यह अपील फाइल की है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने इस अपील में अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई अपील खारिज कर दी थी और 2016 की रिट याचिका (सिविल) सं. 19261 में उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा तारीख 13 मार्च, 2019 को पारित किए गए उस निर्णय और आदेश की अभिपुष्टि की थी जिसके द्वारा विद्वान् एकल न्यायाधीश ने इस अपील में प्रत्यर्थी द्वारा फाइल की गई उक्त रिट याचिका मंजूर की थी और अपीलार्थी बैंक को प्रत्यर्थी-मूल रिट याची को तारीख 3 अक्तूबर, 2016 के नियुक्ति आदेश के अनुसार चपरासी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुज्ञा देने का निदेश दिया था ।

2. अपीलार्थी बैंक द्वारा स्थानीय समाचारपत्र में विज्ञापन प्रकाशित करके चपरासी के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे । उक्त विज्ञापन में वर्णित पात्रता मानदंड यह था कि अभ्यर्थी 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष उतीर्ण होना चाहिए और अंग्रेजी पढ़ने/लिखने का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए । इस विज्ञापन में विनिर्दिष्ट रूप से यह अनुबंधित था कि अभ्यर्थी तारीख 1 जनवरी, 2016 को स्नातक नहीं होना चाहिए । अभ्यर्थी के लिए अपना जीवनवृत्त विहित रूप विधान (फार्मेट) में प्रस्तुत करना भी अपेक्षित था । इस अपील में प्रत्यर्थी ने यद्यपि, वह स्नातक था, उक्त पद के लिए आवेदन किया । तथापि, उसने न तो आवेदन पत्र में और न ही जीवनवृत्त में यह उजागर किया कि वह स्नातक है । इस प्रक्रम पर, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि ऊपर विहित पात्रता मानदंड और शैक्षणिक योग्यता बैंक के मानव संसाधन विकास मंडल द्वारा बैंक में अधीनस्थ काडर में कर्मचारिवृंद की

भर्ती के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विनिर्दिष्ट करते हुए और पात्रता मानदंड विहित करते हुए तारीख 6 नवम्बर, 2018 को जारी 2008 के परिपत्र सं. 25 के अनुसार थी । आवेदकों द्वारा अपने आवेदनों में दी गई जानकारी के आधार पर, 10वीं और 12वीं कक्षा में अभिप्राप्त किए गए अंकों के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार की गई थी । बैंक के मानव संसाधन विकास मंडल द्वारा जारी तारीख 4 मार्च, 2016 के परिपत्र के अनुसार, चपरासियों का चयन अभ्यर्थियों द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा में अभिप्राप्त किए गए अंकों की प्रतिशतता के आधार पर किया जाना अपेक्षित था । जहां तक इस अपील में प्रत्यर्थी-मूल रिट याची का संबंध है, उसके द्वारा अपने आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर बलसार जिले के चयनित अभ्यर्थियों में उसका नाम आया । एक नियुक्ति आदेश जारी किया गया । यह प्रतीत होता है कि जब दस्तावेजों की संवीक्षा की जा रही थी, तब अपीलार्थी बैंक को एक स्नातक प्रमाणपत्र के बारे में पता चला जिससे यह दर्शित हो रहा था कि प्रत्यर्थी-मूल याची वर्ष 2014 से स्नातक है । इस प्रकार, यह नोटिस किया गया और पाया गया कि वह विज्ञापन और परिपत्रों के अनुसार पात्र नहीं था और यह कि प्रत्यर्थी ने सोच-समझकर, जान बूझकर और साशय इस तथ्य को छिपाया था कि वह स्नातक है । अत: उसकी अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया और उसे बैंक में अधीनस्थ काडर में कार्यभार ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया । उसके पश्चात् प्रत्यर्थी ने तारीख 3 अक्तूबर, 2016 के नियुक्ति आदेश के आनुसार उसे चपरासी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुज्ञा देने के लिए समुचित आदेश के लिए और यह भी निदेश देने के लिए समुचित आदेश के लिए कि उसकी नियुक्ति को इस आधार पर रद्द न किया जाए कि उसके पास उच्चतर अर्हता है, उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका [2016 की रिट याचिका (सिविल सं. 19261)] फाइल की । बैंक द्वारा एक विस्तृत उत्तर-शपथपत्र फाइल करके उक्त याचिका का विरोध किया गया । विनिर्दिष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया कि पात्रता मानदंड और शैक्षणिक अर्हता बैंक के मानव संसाधान विकास मंडल द्वारा तारीख 6 नवम्बर, 2008 को जारी किए गए 2008 के परिपत्र सं. 25 के अनुसार

नियत की गई थी । यह भी उल्लेख किया गया कि मानव संसाधान विकास मंडल ने तारीख 4 मार्च, 2018 को बैंक के बोर्ड द्वारा तारीख 29 फरवरी, 2016 को हुई अपनी बैठक में किए गए विनिश्चय के अनुसरण में 2016 का एक अन्य परिपत्र सं. 6 जारी किया था, जिसके द्वारा यह विनिश्चय किया गया था कि चपरासियों का चयन अभ्यर्थियों द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा में अभिप्राप्त किए गए अंकों की प्रतिशतता के आधार पर किया जाएगा । यह भी दलील दी गई कि प्रत्यर्थी ने सोच-समझकर, जान बूझकर और साशय इस तात्विक तथ्य को छिपाया था कि वह स्नातक है । यह उल्लेख किया गया कि यदि बैंक को यह ज्ञात रहा होता कि वह स्नातक है तो बैंक में चपरासी के रूप में चयन के लिए उस पर विचार ही नहीं गया होता । उपरोक्त के बावजूद, उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने उक्त रिट याचिका को एकमात्र रूप से 2019 की सिविल रिट याचिका सं. 69034 (पंकज कुमार दूबे **बनाम** पंजाब नेशलन बैंक) वाले मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस विनिश्चय का अवलंब लेते हुए मंजूर किया, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने **मोहम्मद रायजुल उस्मान गनी** बनाम **जिला और सेशन न्यायाधीश, नागपुर**[1] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय और आदेश को निर्दिष्ट करते हुए यह अभिनिर्धारित किया था कि किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति देने से मात्र इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसके पास उच्चतर अर्हता है । विद्वान् एकल न्यायाधीश ने बैंक को निदेश दिया कि प्रत्यर्थी को तारीख 3 अक्तूबर, 2016 के नियुक्ति आदेश के अनुसार चपरासी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुज्ञा दी जाए ।

2.1 विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पूर्वोक्त रिट याचिका को मंजूर करते हुए और तारीख 3 अक्तूबर, 2016 के नियुक्ति आदेश के अनुसार प्रत्यर्थी-मूल रिट याची को चपरासी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अनुज्ञा देने के लिए बैंक को निदेश देते हुए पारित किए गए निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर अपीलार्थी

---

[1] 2000 की सिविल अपील सं. 1010, तारीख 11 फरवरी, 2000 को विनिश्चित ।

बैंक ने उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष रिट अपील फाइल की । उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, जो कि एक अकारण आदेश है, अपील खारिज कर दी और विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया । इसलिए, यह अपील फाइल की गई है ।

3. अपीलार्थी बैंक की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विशिष्ट रूप से, जब विज्ञापन में विनिर्दिष्ट रूप से यह उल्लिखित था कि कोई अभ्यर्थी तारीख 1 जनवरी, 2016 को स्नातक नहीं होना चाहिए और इसमें विनिर्दिष्ट रूप से यह अनुबंधित था कि अभ्यर्थी 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होने के साथ-साथ उसे अंग्रेजी पढ़ने/लिखने का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए और विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हता/पात्रता मानदंड बैंक के मानव संसाधन विकास मंडल द्वारा जारी तारीख 6 नवम्बर, 2008 और 4 मार्च, 2016 के परिपत्रों के अनुसार थी और स्वीकृत रूप से प्रत्यर्थी मूल रिट याची तारीख 1 जनवरी, 2016 को स्नातक था और इसलिए आवेदन करने के लिए पात्र ही नहीं था, उच्च न्यायालय के विद्वान् न्यायाधीश तथा खंड न्यायपीठ दोनों ने मूल रिट याची को तारीख 3 अक्तूबर, 2016 के नियुक्ति आदेश के अनुसरण में चपरासी के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने की अनुज्ञा देने के लिए अपीलार्थी बैंक को निदेश देकर तात्विक रूप से गलती की है ।

3.1 अपीलार्थी बैंक की ओर से यह भी दलील दी गई कि प्रस्तुत मामले में मूल रिट याची ने विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंड/शैक्षणिक अर्हता को चुनौती नहीं दी थी । उसने कभी शैक्षणिक अर्हता/पात्रता मानदंड विहित करने वाले परिपत्र को भी चुनौती नहीं दी थी । यह दलील दी गई कि जब एक बार विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंड/शैक्षणिक अर्हता को चुनौती नहीं की गई थी और उसके पश्चात् भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया गया था, तो वह यह दलील देने के लिए स्वतंत्र नहीं है कि उसे उच्चतर अर्हता होने के आधार पर नियुक्ति से इंनकार नहीं किया जा सकता है ।

3.2 अपीलार्थी बैंक की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल

द्वारा यह भी दलील दी गई कि उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस विनिश्चय का अवलंब लेकर स्पष्ट रूप से गलती की है जिसमें **मोहम्मद रायाजुल उस्मान गनी** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लिया गया था । यह दलील दी गई कि **मोहम्मद रायाजुल उस्मान गनी** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने पैरा 21 में विनिर्दिष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि उक्त विनिश्चय प्रस्तुत मामले के तथ्यों के आधार पर किया गया है और इसे सार्वभौमिक रूप से लागू होने वाले अधिकथित नियम के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए ।

3.3 यह दलील दी गई कि अन्यथा भी, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि पात्रता मानदंड और शैक्षणिक अर्हता विहित करते हुए तारीख 6 नवम्बर, 2008 और 4 मार्च, 2016 के उक्त परिपत्र बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित विनिश्चय के आधार पर और चपरासी/अधीनस्थ काडर के पद की प्रकृति पर विचार करते हुए जारी किए गए थे और बैंक द्वारा एक भानपूर्ण विनिश्चय किया गया था कि स्नातक की अर्हता रखने वाला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा और केवल वह अभ्यर्थी पात्र होगा जो 12वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण है और उसे अंग्रेजी पढ़ने/लिखने का आधारभूत ज्ञान है । अत: यह दलील दी गई कि इस तथ्य के अतिरिक्त कि मूल रिट याची ने विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंड/शैक्षणिक अर्हता को चुनौती नहीं थी, जब एक बार नियोजक बैंक द्वारा एक विनिर्दिष्ट अर्हता विहित करते हुए एक भानपूर्ण विनिश्चय किया गया था, तो उसके पश्चात् जब तक यह विनिश्चय अत्यंत मनमाना नहीं पाया जाता है, तो यह न्यायिक पुनर्विलोकन की विषयवस्तु नहीं हो सकता है । **जे. रंगास्वामी** बनाम **आंध्र प्रदेश सरकार**[1], **योगेश कुमार** बनाम **राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार**[2] वाले मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चयों और **जहूर अहमद रथेड़** बनाम **इम्तियाज अहमद**[3] वाले मामले में इस न्यायालय के एक हाल ही के विनिश्चय का

---

[1] (1990) 1 एस. सी. सी. 288.

[2] (2003) 3 एस. सी. सी. 548.

[3] (2019) 2 एस. सी. सी. 404.

अवलंब लिया गया ।

3.4 अपीलार्थी बैंक की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा यह भी दलील दी गई कि अन्यथा भी, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर भी कि प्रत्यर्थी-मूल रिट याची ने सोच-समझकर और जानबूझकर स्नातक होने के तात्विक तथ्य को छिपाया था और यहां तक कि जीवनवृत्त में भी इसका प्रकटीकरण नहीं किया था जिसे एक विहित प्ररूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, प्रत्यर्थी-मूल रिट याची को तारीख 3 अक्तूबर, 2016 के उस नियुक्ति आदेश के अनुसार चपरासी के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने की अनुज्ञा देने के लिए अपीलार्थी बैंक को निदेश देकर तात्विक रूप से गलती की थी, जिसे पहले ही रद्द कर दिया गया था । **उड़ीसा राज्य** बनाम **बिभीषण कहार**[1] और **केन्द्रीय विद्यालय संगठन** बनाम **राम रतन यादव**[2] वाले मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चयों का अवलंब लिया गया । यह दलील दी गई कि यदि बैंक को यह ज्ञात होता कि वह स्नातक है, तो बैंक में चपरासी के रूप में उसके चयन के लिए कतई विचार नहीं किया गया होता । यह दलील दी गई कि उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए जीवनवृत्त और आवेदन के आधार पर उसकी अभ्यर्थिता को स्वीकार किया गया था । यह दलील दी गई कि इससे पूर्व कि उसे ड्यूटी पर आने/ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जाता, बैंक को यह ज्ञात हुआ कि वह वर्ष 2014 से स्नातक है और इसलिए वह पात्र ही नहीं था तथा उसके पश्चात् अभ्यर्थिता रद्द कर दी गई और उसे ड्यूटी ग्रहण करने की अनुज्ञा नहीं दी गई । यह दलील दी गई कि अत: उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी बैंक को यह निदेश देकर गलती की थी कि प्रत्यर्थी-मूल रिट याची को तारीख 3 अक्तूबर, 2016 के नियुक्ति आदेश के अनुसार चपरासी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुज्ञा दी जाए ।

4. प्रत्यर्थी-मूल रिट याची की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा इस अपील का जोरदार रूप से विरोध किया गया ।

---

[1] (2017) 8 एस. सी. सी. 608.

[2] (2003) 3 एस. सी. सी. 437.

प्रत्यर्थी-मूल रिट याची की ओर से जोरदार रूप से यह दलील दी गई कि जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा **मोहम्मद रियाजुल उस्मान गनी** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय और **पंकज कुमार दूबे** (उपर्युक्त) वाले मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेकर ठीक ही अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्चतर अर्हता एक निरर्हता नहीं हो सकती है । यह दलील दी गई कि **मोहम्मद रायाजुल उस्मान गनी** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने चपरासी के पद के लिए अधिकतम अर्हता की बात को अनुचित समझा था । यह दलील दी गई कि इसलिए उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी बैंक को यह निदेश देकर कोई गलती नहीं की थी कि प्रत्यर्थी-मूल रिट याची को तारीख 3 अक्तूबर, 2016 के नियुक्ति पत्र के अनुसरण में चपरासी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुज्ञा दी जाए । यह दलील दी गई कि प्रत्यर्थी-मूल रिट याची की नियुक्ति को मुख्यत:/मात्र इस आधार पर रद्द किया गया था कि उसके पास उच्चतर अर्हता है । यह दलील दी गई कि प्रस्तुत मामले में विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंड/शैक्षणिक अर्हता 12वीं थी और इसे एक अधिकतम शैक्षणिक अर्हता नहीं कहा जा सकता है और इसलिए मात्र इस कारण कि प्रत्यर्थी-मूल रिट याची के पास 12वीं कक्षा की अपेक्षा एक उच्चतर अर्हता थी, उसकी अभ्यर्थिता को रद्द नहीं किया जा सकता था ।

4.1 उपरोक्त दलील देते हुए इस अपील को खारिज करने की प्रार्थना की गई ।

5. हमने संबंधित पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेलों को विस्तारपूर्वक सुना । अपीलार्थी बैंक ने स्थानीय समाचारपत्र में विज्ञापन देकर चपरासी के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे । स्वयं विज्ञापन में यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित था कि अभ्यर्थी 12वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए और अंग्रेजी पढ़ने/लिखने का आधारभूत ज्ञान हो तथा तारीख 1 जनवरी, 2016 को स्नातक नहीं होना चाहिए । इस प्रकार, विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंड के अनुसार वह अभ्यर्थी जिसके पास स्नातक की अर्हता है, आवेदन करने के लिए

ही पात्र नहीं था । बैंक की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किए गए प्रति-शपथपत्र से यह प्रतीत होता है कि विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हता बैंक के मानव संसाधन विकास मंडल द्वारा तारीख 6 नवम्बर, 2008 को जारी किए गए 2008 के परिपत्र सं. 25 के अनुसार थी । तारीख 6 नवम्बर, 2008 को जारी किए गए 2008 के परिपत्र सं. 25 का सुसंगत भाग निम्नलिखित है :–

"आयु न्यूनतम – 18 वर्ष

अधिकतम – 24 वर्ष लागू होने वाली छूट सहित

शिक्षा : 12वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण और अंग्रेजी पढ़ने/लिखने का आधारभूत ज्ञान (स्नातक पात्र नहीं है)"

5.1 यह प्रतीत होता है कि उसके पश्चात् तारीख 4 मार्च, 2016 को बैंक के मानव संसाधन विकास मंडल ने 2016 का एक अन्य परिपत्र सं. 6 उसमें यह उपदर्शित करते हुए जारी किया कि अधीनस्थ काडर में के पदों की भर्ती के लिए साक्षात्कार लेना बंद कर दिया गया है और बैंक के बोर्ड ने तारीख 29 फरवरी, 2016 की अपनी बैठक में अधीनस्थ काडर में चपरासियों की भर्ती के लिए साक्षात्कार के बदले में अभ्यर्थियों द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा में अभिप्राप्त किए गए अंकों की प्रतिशतता के आधार पर चयन की एक आनुकल्पिक क्रियाविधि का अनुमोदन किया । अतः, अधीनस्थ कर्मचारिवृंद/चपरासियों के पद पर नियुक्तियां सुनिश्चित रूप से तारीख 6 नवम्बर, 2008 को जारी 2008 के परिपत्र सं. 25 में उल्लिखित पात्रता मानदंड के अनुसार की जानी आवश्यक थीं और चपरासियों का चयन तारीख 4 मार्च, 2016 को जारी 2016 के परिपत्र सं. 6 के अनुसार किया जाना आवश्यक था ।

5.2 यह विवादग्रस्त नहीं है कि उक्त विज्ञापन के अनुसरण में, प्रत्यर्थी-मूल रिट याची ने चपरासी के पद के लिए आवेदन किया था । तथापि, आवेदन पत्र/जीवनवृत्त में उसने यह प्रकटीकरण नहीं किया था कि वह वर्ष 2014 से स्नातक है । उसने अपनी अर्हता का उल्लेख केवल 12वीं उत्तीर्ण होने के रूप में किया था । उसके द्वारा अपने आवेदन पत्र

में दी गई जानकारी के आधार पर उसका आवेदन पत्र ग्रहण किया गया था और उसे 10वीं और 12वीं कक्षा में अभिप्राप्त किए गए अंकों के आधार पर चयनित किया था । अत: प्रत्यर्थी-मूल रिट याची ने सोच-समझकर, जान बूझकर और साशय इस तथ्य को छिपाया था कि वह एक स्नातक है । यदि बैंक को इस बात की जानकारी होती कि वह स्नातक है, तो बैंक में चपरासी के रूप में चयन के लिए उस पर कतई विचार नहीं किया गया होता । तत्पश्चात् और इससे पूर्व कि मूल रिट याची को तारीख 3 अक्तूबर, 2016 के नियुक्ति पत्र के अनुसरण में अपनी ड्यूटी ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जाता, बैंक को यह पता चला कि वह स्नातक है । उसके पश्चात् जब दस्तावेज की संवीक्षा की जा रही थी, तब मूल रिट याची ने यह दर्शित करने के लिए स्नातक का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया कि वह वर्ष 2014 से स्नातक है और बैंक ने पाया कि वह पात्र नहीं था क्योंकि वह विज्ञापन में उल्लिखित मानदंड को पूर्ण नहीं करता था और यह कि उसने इस तात्विक तथ्य को छिपाया था कि वह स्नातक है, उसकी अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया गया और उसे बैंक में अधीनस्थ काडर/चपरासी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया ।

5.3 उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने निर्णय और आदेश द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा फाइल की गई रिट याचिका मंजूर की और अपीलार्थी बैंक को निदेश दिया कि मूल रिट याची को तारीख 3 अक्तूबर, 2016 के नियुक्ति पत्र के अनुसार चपरासी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुज्ञा इस आधार पर दी जाए कि जैसा कि **पंकज कुमार दूबे** (उपर्युक्त) वाले मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है जिसमें **मोहम्मद रियाजुल उस्मान गनी** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया गया था कि चपरासी के पद के लिए अर्हता उच्चतर अर्हता नहीं हो सकती है । विद्वान् एकल न्यायाधीश के विनिश्चय को खंड न्यायपीठ द्वारा आक्षेपित अकारण आदेश द्वारा जारी रखा गया । अत: संक्षिप्त प्रश्न जो इस न्यायालय के समक्ष विचार करने के लिए उठता है वह यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और इस तथ्य

के बावजूद कि प्रत्यर्थी-मूल रिट याची द्वारा आवेदन पत्र/जीवन-वृत्त में यह प्रकटीकरण न करके कि वह स्नातक है, तात्विक तथ्य को छिपाया गया था, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी बैंक को यह निदेश देकर न्यायोचित किया है कि प्रत्यर्थी-मूल रिट याची को तारीख 3 अक्तूबर, 2016 के उस नियुक्ति आदेश के अनुसार, जिसे रद्द कर दिया गया था, चपरासी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुज्ञा दी जाए ?

6. यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि आवेदन पत्र आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंड/शैक्षणिक अर्हता तारीख 6 नवम्बर, 2008 को जारी 2008 के परिपत्र सं. 25 के अनुसार थी, जिसका सुसंगत भाग इसमें ऊपर उद्धृत किया गया है और जिसमें जैसा कि रिट याचिका के प्रत्युत्तर में कथन किया गया है जिसमें बैंक द्वारा पात्रता मानदंड/शैक्षणिक अर्हता का यह अनुबंध करते हुए एक भानपूर्ण विनिश्चय किया गया था कि कोई स्नातक अभ्यर्थी चपरासी/अधीनस्थ कर्मचारिवृंद के पद के लिए पात्र नहीं होगा । पद की प्रकृति को देखते हुए उक्त विनिश्चय भानपूर्वक किया गया था । इस प्रक्रम पर, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि मूल रिट याची ने कभी भी विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंड/शैक्षणिक अर्हता को चुनौती नहीं दी थी । उसने विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंड/शैक्षणिक अर्हता को चुनौती दिए बिना विज्ञापन के आधार पर भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था । अत:, जब एक बार विज्ञापन के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया गया था, तब उसके पश्चात् वह यह अभिवाक् करने के लिए स्वतंत्र नहीं है कि उच्चतर अर्हता का अर्जन एक निरर्हता नहीं हो सकती है और वह भी जब उसने कभी भी विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंड/शैक्षणिक अर्हता को चुनौती नहीं दी थी ।

7. अन्यथा भी, यह पात्रता मानदंड/शैक्षणिक योग्यता विहित करते हुए कि कोई स्नातक आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा, बैंक द्वारा किया गया एक भानपूर्ण विनिश्चय था और यह विनिश्चय तारीख 6 नवम्बर, 2008 को जारी 2008 के परिपत्र सं. 25 के अनुसार था । **जे.**

रंगास्वामी (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि विभिन्न पदों के लिए विहित की गई अर्हताओं की सुसंगतता पर विचार करने का काम न्यायालय का नहीं है ।

7.1 **योगेश कुमार** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि लोक सेवा के लिए भर्ती सुनिश्चित रूप से विज्ञापन के निबंधनों और भर्ती नियमों, यदि कोई हैं, के अनुसार की जानी चाहिए । नियमों से विचलन करने पर अपात्र व्यक्तियों का प्रवेश हो जाता है और ऐसे बहुत से अन्य व्यक्ति वंचित हो जाते हैं जो उस पद के लिए प्रतिस्पर्धी हो सकते थे ।

7.2 **जहूर अहमद राठेड़** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के एक हाल ही के विनिश्चय में इस न्यायालय ने **ज्योति के. के.** बनाम **केरल लोक सेवा आयोग**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के एक अन्य विनिश्चय को यह दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रभेदित किया है कि ऐसे किसी मामले में जहां न्यूनतम अर्हता विहित की गई है, यदि किसी व्यक्ति ने उच्चतर अर्हताएं अर्जित की हैं तो ऐसी अर्हता के बारे में निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हताओं के अर्जन की पूर्वकल्पना की जाए । उक्त विनिश्चय में, इस न्यायालय ने **पंजाब राज्य** बनाम **अनिता**[2] वाले मामले में इस न्यायालय के एक अन्य विनिश्चय का भी उल्लेख किया था, जिस मामले में इस न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर **ज्योति के. के.** (उपर्युक्त) वाले मामले में के विनिश्चय को प्रभेदित किया । **ज्योति के. के.** (उपर्युक्त) वाले मामले में के विनिश्चय को प्रभेदित करते हुए पैरा 25 और 26 में निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया है :-

> "25. ज्योति के. के. [ज्योति के. के. **बनाम** केरल लोक सेवा आयोग [(2010) 15 एस. सी. सी. 596 = (2013) 3 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 664] वाले मामले में के विनिश्चय पर पंजाब

---

[1] (2010) 15 एस. सी. सी. 596.

[2] (2015) 2 एस. सी. सी. 170.

राज्य **बनाम** अनिता [(2015) 2 एस. सी. सी. 170 = (2015) 1 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 329] वाले मामले में दो विद्वान् न्यायाधीशों के निर्णय में विचार किया गया था । उस मामले में, जेबीटी/ईटीटी अर्हित अध्यापकों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे । नियमों के अधीन, जेबीटी अध्यापक के लिए विहित अर्हता में मैट्रिक के साथ-साथ जेबीटी प्रशिक्षण में दो वर्षों का पाठ्यक्रम और मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष कक्षा का पंजाबी और हिन्दी का ज्ञान होना सम्मिलित था । इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थियों में से किसी के पास विहित अर्हता नहीं थी और एमए, एमएससी या एमकाम को एक 'उच्चतर अर्हता' नहीं समझा जा सकता है । **ज्योति के. के.** (उपर्युक्त) वाले मामले में के विनिश्चय पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने यह पाया कि उस मामले में नियम 10(क)(ii) में स्पष्ट रूप से यह अनुबंधित था कि उच्चतर अर्हता होने पर पद के लिए एक न्यूनतम अर्हता के अर्जन की पूर्वकल्पना की जा सकती है । ऐसे किसी अनुबंध के अभाव में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसी परिकल्पना नहीं की जा सकती थी । **अनिता** (पंजाब राज्य **बनाम** अनिता) वाले मामले का पैरा 15 इस प्रकार है –

> 'पूर्वोक्त मताभिव्यक्तियों के आधार पर यह प्रकथन करने की ईप्सा की गई कि चूंकि प्राइवेट प्रत्यर्थियों के पास उच्चतर अर्हताएं हैं, इसलिए यह समझा जाना चाहिए कि वे जेबीटी/ईटीटी अध्यापकों के पदों के लिए अनुबंधित अर्हता पूर्ण करते हैं । हमारे लिए प्राइवेट प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल की पूर्वोक्त दलील को स्वीकार करना संभव नहीं है, क्योंकि **ज्योति के. के.** (उपर्युक्त) वाले मामले में पूर्वोक्त मताभिव्यक्तियां अभिलिखित करते हुए जिन कानूनी नियमों पर विचार किया गया था, उनमें पूर्वोक्त पाठ्यक्रम को अनुज्ञात किया गया था । प्राइवेट प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा अवलंब लिए गए विनिश्चय में के कानूनी नियम को नीचे उद्धृत किया जाता है' –

'6. नियम 10(क)(ii) इन नियमों या विशेष नियमों में किसी बात के होते हुए भी, कार्यपालक आदेशों या सरकार के स्थायी आदेश द्वारा मान्यताप्राप्त विशेष नियमों में किसी पद के लिए विनिर्दिष्ट किसी अर्हता के समकक्ष अर्हता (दो तारकचिह्नों के बीच की विषयवस्तु को मूल निर्णय में रेखांकित किया गया है, जिसे यहां हटाया गया है) और वे ऐसी उच्चतम अर्हताएं जिसे पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता के अर्जन की बात पूर्व-कल्पित है, वह भी पद के लिए पर्याप्त होगी ।'

इस नियम के परिशीलन से स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता है कि उच्चतम अर्हता का होना पदों के लिए विहित न्यूनतम अर्हता के अर्जन के लिए पूर्व-कल्पित होगा । जहां तक प्रस्तुत संविवाद का संबंध है, उच्चतम अर्हताओं के व्यक्तियों की नियुक्ति को प्राधिकृत करने वाला कोई समान कानूनी उपबंध नहीं है ।

26. हम उस निर्वचन से सादर सहमत हैं जिसका **ज्योति के. के.** (उपर्युक्त) वाले मामले में और **अनिता** (उपर्युक्त) वाले पश्चात्वर्ती मामले में अवलंब लिया गया है । **ज्योति के. के.** (उपर्युक्त) वाले मामले में का विनिश्चय नियम 10(क)(ii) के उपबंधों पर आधारित था । ऐसी किसी नियम के अभाव में, यह निष्कर्ष निकालना अनुज्ञेय नहीं होगा कि कोई उच्चतम अर्हता आवश्यक रूप से एक अन्य हालांकि निम्नतर अर्हता के अर्जन के लिए पूर्व-कल्पना करती है । किसी पद के लिए अर्हताएं विहित करना एक भर्ती नीति का विषय है । नियोजक होने के नाते राज्य पात्रता की किसी शर्त के रूप में अर्हताओं को विहित करने के लिए हकदार है । विहित की गई अर्हताओं की परिधि का विस्तार करना न्यायिक पुनर्विलोकन की भूमिका या कार्य का भाग नहीं है । इसी प्रकार, किसी अर्हता की समकक्षता ऐसा विषय नहीं है जिसे न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए अवधारित किया जा सके । क्या कोई विशिष्ट अर्हता समकक्ष के रूप में समझी जानी चाहिए या नहीं समझी जानी चाहिए, यह अवधारण

करने का विषय भर्ती प्राधिकारी के नाते राज्य का विषय है । **ज्योति के. के.** (उपर्युक्त) वाले मामले में का विनिश्चय एक विनिर्दिष्ट कानूनी नियम पर निर्भर था जिसके अधीन कोई उच्चतर अर्हता धारित करने के बारे में निम्नतर अर्हता होने की पूर्व कल्पना की जा सकती थी । प्रस्तुत मामले में ऐसे किसी नियम के अभाव में अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए निर्णायक अंतर हो जाता है । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए, उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने इम्तियाज अहमद **बनाम** जहूर अहमद राठेड़ [एलपीए (एसडब्ल्यू) सं. 135 आफ 2017, तारीख 12 अक्तूबर, 2017 को विनिश्चित] वाले मामले में विद्वान् एकल न्यायाधीश के निर्णय [जहूर अहमद राठेड़ **बनाम** जम्मू कश्मीर राज्य (2017) एस. सी. सी. ऑन लाइन जे. एंड के. 936] को उलटकर और इस निष्कर्ष पर पहुंचकर न्यायोचित किया था कि अपीलार्थी विहित अर्हताएं पूरी नहीं करते हैं । हम खंड न्यायपीठ के विनिश्चय [इम्तियाज अहमद **बनाम** जहूर अहमद राठेड़ (एलपीए (एसडब्ल्यू) सं. 135 आफ 2017, तारीख 12 अक्तूबर, 2017 को विनिश्चित] में कोई गलती नहीं पाते हैं ।"

उसके पश्चात् पैरा 27 में निम्नलिखित मत व्यक्त किया था :-

"27. किसी पद के लिए अर्हताएं विहित करते समय राज्य, नियोजक ने नाते, विधिसम्मत रूप से कई सारी विशेषताओं को ध्यान में रख सकता है जिनमें नौकरी की प्रकृति कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन के लिए अपेक्षित अभिरुचि, किसी अर्हता की क्रियात्मकता और अध्ययन पाठ्यक्रम की वह अंतर्वस्तु जो किसी अर्हता के अर्जन तक चली, भी सम्मिलित है । राज्य को यह प्राधिकार है कि वह अपनी लोक सेवाओं की आवश्यकताओं को निर्धारित कर सके । यह एक अति सामान्य विधि है कि प्रशासन की अत्यावश्यकताएं प्रशासनिक विनिश्चयकारी अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं । राज्य एक लोक नियोजक होने के नाते उन समाजिक परिप्रेक्ष्यों पर भली-भांति विचार कर सकता है जो संपूर्ण सामाजिक ढांचे के लिए नौकरी के अवसरों के सृजन के लिए

अपेक्षित हैं । ये सभी बातें अनिवार्य रूप से नीतिगत विषय हैं । न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए अवश्य ही सावधानीपूर्वक कदम आगे बढ़ाना चाहिए । यही कारण है कि **ज्योति के. के.** (उपर्युक्त) वाले मामले में के विनिश्चय को ऐसे विनिर्दिष्ट कानूनी नियम के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिसके अधीन एक उच्चतर अर्हता को धारित करने की बात को एक निम्नतर अर्हता होने की पूर्व-कल्पना करके पदों के लिए पर्याप्त अर्हता होना समझा गया था । इसी विनिर्दिष्ट नियम के संदर्भ में **ज्योति के. के.** (उपर्युक्त) वाले मामले का विनिश्चय इस बात पर निर्भर था ।"

7.3 अत: जैसाकि इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया है, किसी पद के लिए अर्हताओं की सुसंगतता और उपयुक्तता का अवधारण और विनिश्चय करने का कार्य नियोजक का है और इस पर विचार करने और निर्धारण करने का कार्य न्यायालयों का नहीं है । किसी पद के लिए अर्हताएं विहित करने के लिए न्यायालयों द्वारा नियोजक के लिए अत्यधिक स्वच्छन्दता अनुज्ञात की जाती है । इसके पीछे एक तर्काधार है । अर्हताएं, यथास्थिति, किसी संस्थान या उद्योग या स्थापन की आवश्यकता और हित को ध्यान में रखते हुए विहित की जाती हैं । न्यायालय अर्हताओं के ऐसे विहितिकरण की समीचीनता, औचित्य या उपयोगिता का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त अभिकरण नहीं हैं । प्रस्तुत मामले में, यह पात्रता मानदंड/शैक्षणिक अर्हता विहित करना कि कोई स्नातक अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा और अभ्यर्थी अवश्य 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, न्यायोचित है और जैसाकि इसमें ऊपर मत व्यक्त किया गया है, यह बैंक द्वारा किया गया एक भानपूर्ण विनिश्चय है जो वर्ष 2008 से प्रवृत्त है । अत:, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी बैंक को यह निदेश देकर स्पष्ट गलती की है कि वह प्रत्यर्थी-मूल रिट याची को चपरासी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अनुज्ञा दे, यद्यपि वह विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंड/शैक्षणिक अर्हता के अनुसार पात्र नहीं था ।

8. प्रत्यर्थी-मूल रिट याची ने सोच-समझकर, जानबूझकर और साशय इस तथ्य को छिपाया था कि वह स्नातक है, इस आधार पर भी

उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी-मूल रिट याची को चपरासी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुज्ञा देने के लिए अपीलार्थी बैंक को निदेश देकर गलती की थी । प्रत्यर्थी-मूल रिट याची ने अपने आवेदन/जीवन-वृत्त में यह उल्लेख नहीं किया था कि वह स्नातक है । बहुत ही चतुराई से उसने इस तथ्य को छिपाया और अपनी अर्हता एच.एच.सी. घोषित की, जबकि वास्तव में उसके पास कला में स्नातक की डिक्री थी । यदि बैंक को यह जानकारी दी गई होती कि वह स्नातक है, तो बैंक में चपरासी के रूप में उसके चयन के लिए कतई विचार नहीं किया जाता । बाद में, जब दस्तावेजों की संवीक्षा की जा रही थी और जब प्रत्यर्थी-मूल रिट याची ने एक स्नातक का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया, उस समय बैंक को पता चला कि वह स्नातक है और इसलिए पात्र नहीं है और इसलिए बैंक ने ठीक ही उसकी अभ्यर्थिता रद्द की और उसे बैंक में अधीनस्थ काडर में कार्यभार ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया । अत:, केवल पूर्वोक्त आधार पर ही उच्च न्यायालय को रिट याचिका मंजूर नहीं करनी चाहिए थी जबकि मूल रिट याची द्वारा तात्विक तथ्य को छिपाने का यह एक स्पष्ट मामला था । कर्मचारी से अपनी अर्हता के बारे में सही जानकारी देने की प्रत्याशा की जाती है । मूल रिट याची ऐसा करने में असफल रहा था । वह वास्तव में अधिक अर्हित था और इसलिए नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए अपात्र था । वास्तव में, प्रत्यर्थी-मूल रिट याची के ऐसे अचारण से एक अन्य उपयुक्त अभ्यर्थी को उसके रिष्टिकारी कृत्य के कारण कष्ट झेलना पड़ा । जैसाकि **रामरतन यादव** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, तात्विक जानकारी छिपाने और कोई मिथ्या कथन करने का स्पष्ट सरोकार कर्मचारी के सेवा में जारी रहने के संबंध में उसके चरित्र और पूर्ववृत्त से होता है । कोई अभ्यर्थी तात्विक जानकारी छिपाकर और/या मिथ्या जानकारी देकर सेवा में जारी रहने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है । इस प्रकार, तात्विक जानकारी और तथ्यों को छिपाने के आधार पर और चूंकि प्रत्यर्थी-मूल रिट याची अन्यथा भी विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंड/शैक्षणिक अर्हता के अनुसार पात्र नहीं था जो कि तारीख 6 नवम्बर, 2008 को जारी 2008

के परिपत्र सं. 25 के अनुसार थी, इसलिए बैंक ने उसकी अभ्यर्थिता को ठीक ही रद्द किया था और ठीक ही उसको अपनी ड्यूटी ग्रहण की अनुज्ञा नहीं दी थी ।

9. विद्वान् एकल न्यायाधीश के निर्णय और आदेश के अनुशीलन से यह प्रतीत होता है कि विद्वान् एकल न्यायाधीश ने तात्विक तथ्य और जानकारी छिपाने के पूर्वोक्त पहलू पर कतई विचार नहीं किया था । जहां तक उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा पारित किए गए आक्षेपित आदेश का संबंध है, यह आदेश एक अकारण आदेश है और इसमें किसी तथ्य का उल्लेख तक नहीं किया गया है ।

10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों से, उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा तारीख 22 नवम्बर, 2019 का पारित किया गया आक्षेपित आदेश और 2016 की रिट याचिका (सिविल) सं. 19261 में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा तारीख 13 मार्च, 2019 को अपीलार्थी बैंक को यह निदेश देते हुए पारित किया गया आदेश कि प्रत्यर्थी-मूल रिट याची को तारीख 3 नवम्बर, 2016 के नियुक्ति पत्र के अनुसार चपरासी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुज्ञा दी जाए, असंधार्य हैं और अभिखंडित तथा अपास्त किए जाने योग्य हैं और तद्नुसार, अभिखंडित और अपास्त किए जाते हैं । यह अपील मंजूर की जाती है । तथापि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रश्नगत पद एक अधीनस्थ कर्मचारिवृंद/चपरासी का पद था और इस तथ्य के बावजूद कि मूल रिट याची के रिष्टिकारी कृत्य के कारण एक अभ्यर्थी नौकरी प्राप्त नहीं कर सका था, इसलिए, हम खर्चा अधिरोपित करने से प्रविरत हैं और मामले को वहीं तक छोड़ते हैं ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.